

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2024/14

दिनांक 23/01/24

:- संशोधन आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक: 284 दिनांक 15.06.2022 के द्वारा डॉ. गौरव जैन, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को उनकी पी.जी. योग्यता के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग) के पद पर पुर्ननामोनिस्ट (रीडेजीग्नेट) किया गया था, डॉ. जैन चूंकि मेडिसिन विषय में पी.जी. योग्यताधारी है, अतः उक्त आदेश में स्त्रीरोग के स्थान पर मेडिसिन पढा जावे।

साथ ही निदेशालय के आदेश क्रमांक: 102 दिनांक 19.05.2023 के द्वारा डॉ. चेताराम मीणा, उप निदेशक को उनकी पी.जी. योग्यता के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद पर पुर्ननामोनिस्ट (रीडेजीग्नेट) किया गया था, डॉ. मीणा चूंकि स्त्रीरोग विषय में पी.जी. योग्यताधारी है, अतः उक्त आदेश में सर्जरी के स्थान पर स्त्रीरोग पढा जावे।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2024/14

दिनांक 23/01/24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन, भरतपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, सवाई माधोपुर।
4. डॉ. गौरव जैन एवं डॉ. चेताराम मीणा द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित अनुभाग/ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
5371842

Document certified by RAVI PRAKASH
MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI
PARKASH MATHUR
Designation: Director
Date :19-01-2024 06:48:42